न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 04/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2024/36

अनवान

1. नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति देशांतरी निवासी तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. बुदराम पुत्र फगलुराम जाति विश्नोई निवासी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थीगण.....

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।
2. अधिशाषी अभियंता एन.एच.ए.आई. बाड़मेर।

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :— 05.04.2024

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 06.03.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा नम्बर 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 रकबा कमशः 0.26, 0.26, 0.26 हैक्टर जुमले रकबा 0.78 हैक्टर प्रार्थीगण के खातेदारी का कब्जाकाश्त का दर्जसुदा आया हुआ है। उक्त आराजी के चारों और चार दीवारी कायम है तथा कब्जा काश्त प्रार्थीगण का आया हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नजरी नक्शा अ में प्रदर्शित मार्क ए.बी.सी.डी के बीच स्थित आराजी पर कब्जा काश्त कदमी चला आ रहा है। उक्त आराजी के पास खसरा नम्बर 2747/3524 नेशनल हाईवे 68 व 168ए के खाते की आराजी आई हुई है। द्वितीय सेटलमेंट में हल्का अमीन ने भूलवश प्रार्थीगण की खरीदसुदा मूल खसरा नम्बर 2751 एवं वर्तमान खातेदारी खसरा नम्बर 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 रकबा कमशः 0.26, 0.26, 0.26 हैक्टर जुमले रकबा 0.78 हैक्टर की आराजी का मौके पर से कब्जा काश्त से हटकर ट्रेस नक्शे में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी उपरोक्त खसरा नम्बरान की गलत तरमीम कर नजरी नक्शा अ में प्रदर्शित एफ, बी, सी, ई भाग पर प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी को ट्रेस नक्शे में गलत तरमीम कर मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी को अवैध रूप से गलत तरमीम कर ट्रेस नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि कम

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

दर्ज कर दी गई है। जो गलत है जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर प्रार्थीगण का मौके पर नजरी नक्शे अ में प्रदर्शित ए.बी, सी, डी भाग पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त आया हुआ है जबकि नजरी नक्शा अ में प्रदर्शित ई, सी, बी, एफ आराजी भूलवश नेशनल हाइवे 68 व 168ए के खाते में गलत तरमीम कर प्रार्थीगण के खाते में ट्रेस नक्शे में कम भूमि दर्ज कर दी है जबकि नजरी नक्शा अ में प्रदर्शित ई.सी.बी,एफ के बीच स्थित आराजी प्रार्थीगण की आराजी का भाग है। जिस पर कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का कदीमी चला आ रहा हैं मौके पर कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का है। उक्त आराजी भूलवश नेशनल हाइवे नम्बर 68, 168ए के ट्रेस नक्शे में गलत तरमीम कर प्रार्थीगण के खाते में नक्शा ट्रेस में कम भूमि अवैध रूप से तरमीम करके प्रार्थीगण की भूमि कम कर दी गई है जो काबिल दूरस्त हैं। उक्त गलत दुरस्ती केवल मानवीय भूल है। खसरा नम्बर 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 जो की जमाबन्दी अनुसार तीनो ही खसरो का रकबा बराबर—बराबर अर्थात प्रत्येक खसरा 0.26 0.26 हैक्टर का है। जबकि नक्शा ट्रेस में देखने स्पष्ट प्रतित होता है कि तीनो खसरों का रकबा बराबर नही हो सकता है। इस प्रकार नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम होने के कारण नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि कम हो गई है जो काबिल दूरस्त के है। अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 रकबा क्रमशः 0.26, 0.26 0.26 हैक्टर जुमले रकबा 0.78 हैक्टर भूमि में मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार प्रार्थीगण के खाते में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की सही तरमीम कर रेकर्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से तहसीलदार सांचौर द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः— प्रार्थी नरेश कुमार पुत्र शंकर लाल जाति—देशान्तरी एवं बुद्धराम पुत्र फगलूराम जाति—विश्नोई नि. सांचौर के ग्राम मौखुपुरा के खसरा नम्बर 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 कुल खसरे 03 जुमले रकबा 0.78 हैक्टर का मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने संबंधी प्रार्थना पत्र की जांच अनुसार मूल खसरा नम्बर 2751 का कुल रकबा 1.11 हैक्टर था जिनके मूल खातेदार वीरमा वल्द अभा चेला वल्द मोती, गोपालाराम, सोनाराम पि. केहराराम, दानाराम, वोहताराम, जगताराम, पन्ना राम पि. वीराराम केवूदेवी पत्नी हीराराम कौम कलबी एवं हंजारीमल पुत्र लवजी कौम महाजन थे। ना.स. 07 दिनांक 27.05.1997 द्वारा खातेदार वीरमा वल्द अभा एवं ना.स. 37 दिनांक 06.02.1998 द्वारा खातेदार हंजारीमल पुत्र लवजी कौम महाजन का विरासत का नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ। ना.स. दिनांक 05.05.2010 द्वारा हंजारीमल महाजन के वारिसान द्वारा जरिये बैचान उनका हिस्सा तुलसीदेवी पत्नी जामाराम चौधरी निवासी सांचौर के नाम से दर्ज किया गया। खातेदार नाजू बेबा वीरमा एवं वेला पुत्र मोती फौत होने पर ना. सं. 429 दिनांक 18.12.2010 द्वारा उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। ना.स. 443 दिनांक 19.01.2011 जरिये बंटवाड़ा खसरा नम्बर 2751 का बंटवाड़ा होने पर खसरा नम्बर 2751 रकबा 0.33 हैक्टर पीराराम, जोधाराम वगैराह कौम कलबी खसरा नम्बर 3686/2751

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

रकबा 0.26 हैक्टर गोपालाराम, सोनाराम पि केहराराम कौम कलबी, खसरा नम्बर 3687/2751 रकबा 0.26 हैक्टर दानाराम, वोहताराम, जगताराम, पन्नाराम पि. हिराराम, केवूदेवी पत्नी हीराराम कलबी एवं खसरा नम्बर 3688/2751 रकबा 0.26 हैक्टर सरुपाराम, पांचाराम पि. वीरमाराम कौम कलबी के नाम दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 कुल खसरे 03 रकबा 0.78 हैक्टर जरिये बैचान दस्तावेज एवं ना.स. 1102 दिनांक 03.11.2023, 1107 दिनांक 03.11.2023, 1093 दिनांक 03.11.2023 द्वारा प्रार्थी नरेशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति देशान्तरी के नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात खसरा नम्बर 3688/2751 रकबा 0.26 हैक्टर में से 0.2169 हैक्टर भूमि जरिये वैचान दस्तावेज एवं ना.सं. 1143 दिनांक 22.02.2024 द्वारा बुधराम पुत्र फगलुराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज किया गया जो वर्तमान में शामलाती भूमि दर्ज हैं। प्रार्थीगण मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि करवाना चाहते हैं तहसील के अभिलेखागार में अवलोकन करवाने पर खसरा नम्बर 2751 का पुराना खसरा नम्बर 663 का राजस्व नक्शा नष्ट होना बताया साथ ही प्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय से सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना अनुसार प्रथम सेटलमेंट का तरमीम सुदा नक्शा उपलब्ध नहीं हैं जिसका प्रमाण पत्र पेश किया जो संलग्न हैं। प्रार्थी ने मौका स्थिति का गुगल मैप भी पेश किया जो संलग्न हैं जिसके अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा सलंग्न जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 में दर्शायी मौका स्थिति अनुसार ही हैं। अतः प्रार्थीगण के तीन खसरो की मौकानुसार नाप 0.78 हैक्टर रकबा बनता है। जब कि राजस्व नक्शे के नाम अनुसार रकबा 0.64 हैक्टर बनता है शेष रकबे की पूर्ति प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन एवं मौका अनुसार खसरा नम्बर 2747/3524 कुल रकबा 2.33 हैक्टर से होगी जो कि NHAI के नाम दर्ज हैं एवं NHAI भी इस वाद में प्रतिवादी हैं। प्रार्थीगण द्वारा आवेदित तरमीम शुद्धि किये जाने से खसरा नम्बर 2747/3524 के कुल रकबे 2.33 हैक्टर में कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इस वाद में NHAI भी प्रतिवादी है एवं प्रार्थीगण द्वारा आवेदित तरमीम शुद्धि NHAI की भूमि से की जानी है। जिसका पक्ष सुना जाकर अगर नक्शे में शुद्धि की जाती है तो किसी प्रकार की राजकीय हानि नहीं होगी।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश विश्नोई व अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा पद संख्या 1 वर्णित नक्शा **अ** अपनी मनमर्जी से बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 सही होने से स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 का जवाब यह है कि विप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 2747/3524 रकबा 2.3300 हेक्टयर की आई हुई है जो भूमि वर्ष 1977 से विप्रार्थी संख्या 2 को आंवटित हो रखी है। वर्तमान में हल्का पटवारी सांचौर से मौके पर भूमि का नाप व चिन्हीकरण करवाने पर भी मौके की वस्तुस्थिति एवं लटठा ट्रेस की तरमीम में कोई भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण का मूल खसरा (2751) एवं हाईवे का खसरा (2747) सेन्टलमेंट के समय भी भिन्न थे, जिसमें स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा मनगढत कहानी बनाकर मुक्त में हाईवे की जमीन पर कब्जा करने का उद्देश्य है। मौके

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

के कब्जे के अनुसार ही लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम की गई है, इसलिये प्रार्थीगण किसी प्रकार की तरमीम दुरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है तथा इस आवेदन के आड़ में प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 2 की भूमि को हडप कर उस पर अतिक्रमण करना चाह रहा है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का बेबुनियाद व मनगढत होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माखुपुरा के खसरा संख्या 3686/2751, 3687/2751, 3888/2751 जुमले रकबा 0.78 हेक्टेयर पर प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त दर्ज है जो पत्रावली में प्रस्तुत नजरी नक्शा मार्क ए में प्रदर्शित एबीसीडी के बीच पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है। पूर्व में अमीन द्वारा भूलवश प्रार्थीगण की खातेदारी मौके से कब्जा हटाकर नक्शा ट्रैस दूसरी जगह कब्जा दिखाकर गलत तरमीम कर दी गई है। इस हेतु उपरोक्त खसरा नम्बरान के रकबे की भूमि प्रार्थीगण अपनी आराजी अनुसार सही जगह तरमीम करवाने के हकदार होने से रेकर्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करावे।

6. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर ने अपने बिन्दुवार जवाब के कथनों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि रेकर्ड के अवलोकन से उक्त तीनों खसरों के पुराना खसरा संख्या 663 का राजस्व नक्शा नष्ट होने से उक्त नवीन तीनों खसरों का नाप करने पर इनका रकबा 0.78 हेक्टेयर बनता है, जबकि राजस्व नक्शे अनुसार 0.64 हेक्टेयर बनता है। शेष रकबे की पूर्ति खसरा नम्बर 2747/3524 रकबा 2.33 हेक्टेयर से होगी। जो NHAI के नाम दर्ज है। NHAI के उक्त शुद्वी से अपने कुल रकबे 2.33 हेक्टेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नक्शे में शुद्वी की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होगा।

7. अप्रार्थी सं. 2 NHAI के अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा नक्शा अपनी मनमर्जी से बनाकर पेश किया है जबकी उक्त भूमि सन् 1997 से NHAI को आवंटित है वर्तमान नाप में भी कोई भिन्नता नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़त कहानी बनाकर हाइवे की जमीन पर कब्जा कर NHAI की जमीन को हड़प कर अतिक्रमण करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण किसी भी प्रकार तरमीम दुरस्ती करवाने के हकदार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण व राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने मौजा माखुपुरा के खेत खसरा संख्या 3686/2751, 3687/2751, 3688/2751 जुमले रकबा 0.78 हैक्टेयर भूमि में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थीगण के खाते में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की सही तरमीम कर रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत् धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम होने के कारण नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि कम हो गई है जो काबिल दुरूस्त किया जावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार मूल खसरा संख्या 2751 का कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर था जिसके मूल खातेदार वीरमा वल्द अभा, चेला वल्द मोती, गोपालाराम, सोनाराम पि. केहराराम, दानाराम, वोहताराम, जगताराम, पन्नाराम पि. वीराराम, केनूदेवी पत्नी हीराराम तथा मूल खातेदार ने समय– समय पर बैचान करने पर प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार है, इस प्रकार मूल खातेदारान् द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती संबंधी प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रार्थीगण खरीददार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो संदेहास्पद है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में बताया है कि खेत खंख्या संख्या 2747/3524 रकबा 2.33 हैक्टेयर की आराजी वर्ष 1997 में अप्रार्थी संख्या 2 को आंवटित होने के पश्चात वर्तमान में हल्का पटवारी सांचौर से मौके पर भूमि का नाप व चिन्हीकरण करवाने पर भी मौके की वस्तुस्थिति एवं लट्ठा ट्रेस की तरमीम में कोई भिन्नत नहीं है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण का मूल खसरा 2751 एवं हाईवे का खसरा सेटलमेंट के समय भी भिन्न थे जिसके स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़त कहानी बनाकर हाईवे की जमीन पर कब्जा करने का उद्देश्य है, मौके के कब्जे अनुसार ही लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम की गई है। इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की तरमीम दुरूस्ती करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पेश जवाब का प्रार्थीगण ने किसी भी तरह से खण्डन करने संबंधी कोई दस्तावेज या शपथ–पत्र पेश नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मूल खसरा व हाईवे का खसरा अलग–अलग है। इसी प्रकार प्राथीगण ने नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम होने के कारण नक्शें में प्रार्थीगण की भूमि कम हो गई है, जो दुरूस्त करने का उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान अधिकारियों, यथा तहसीलदार को रिकॉर्ड ऑफ राईट्स (अधिकार अभिलेख) या रजिस्टरों में लिपिकीय या तथ्यात्मक गलतियों को सुधारने का अधिकार देती है यह धारा नए खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करती, केवल रिकॉर्ड को सही करने के लिए है इस प्रकार धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में गलतियों को सुधारा जाता है, जबकि प्रार्थीगण ने नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम होने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है जो धारा 136 की श्रेणी (ताईद) में नहीं आता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना– अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फेसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)